

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 879]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 3, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

अधिसूचना
संख्या 18/2025—राज्य कर (दर)

RULE/744/2025-COMTAX SECTION (89).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2018—राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/ पांच(110) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 521 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) “नामित एजेंसी” से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 45/2025—सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के तालिका I से संलग्न सूची 13, 14 और 15 में उल्लिखित निकाय से है;”

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2025 से लागू समझा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

RULE/744/2025-COMTAX SECTION (89).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक RULE/744/2025-COMTAX SECTION (89), दिनांक 21-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st November 2025

NOTIFICATION
No. 18/2025 - State Tax (Rate)

RULE/744/2025-COMTAX SECTION (89).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 26/2018–State Tax (Rate), No. F-10-65/2018/CT/V(110), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 521, dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in Lists 13, 14 and 15 appended to Table 1 of notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i);"

2. This notification shall be deemed to have come into force from the 1st day of November, 2025.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.